

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 अग्नेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7 (2)(551)रा.छा / सा-याअवि / 16 /

2066

जयपुर, दिनांक

13/01/17

संशोधित आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में एफ 7(2) (551) रा.छा / सा-याअवि / 13 / 7483 दिनांक 03.02.2014 के द्वारा राजसमन्द जिला मुख्यालय पर एक 50 की आवासीय क्षमता का अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास का संचालन लेखा शीर्ष 2225-03-196-(01)-[02] राज्य आयोजना मद में करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा उक्त स्वीकृति में ही छात्रावास संचालन के लिये 1 छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय (पे बैंड 5200-20200 गेड पे-2400) का पद सृजित किया गया था।

उक्त स्वीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास, राजसमन्द का संचालन नहीं होने के कारण उक्त छात्रावास को महाविद्यालय स्तरीय (अन्य पिछड़ा वर्ग) बालिका छात्रावास के रूप में परिवर्तित कर शैक्षणिक सत्र 2017-18 से संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है तथा पूर्व में स्वीकृत छात्रावास अधीक्षक गेड द्वितीय का पद यथावत माना जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161601394 दिनांक 30.12.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।



(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

जयपुर, दिनांक

13/01/17

क्रमांक एफ 7 (2)(551)रा.छा / सा-याअवि / 16 /

प्रतिलिपि :-

2067-77

1. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, राजसमन्द।
5. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
7. अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश की पालना में महिला छात्रावास अधीक्षक का पदस्थापन कराने का श्रम करावे।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द।
9. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का टेक महिन्द्रा का आज ही उपलब्ध करावे।
11. आदेश पत्रावली।



निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव